न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)

मु.नं. ......80..... / 2024

कुम्भा राम पुत्र मेघ दास जाति स्वामी निवासी कैलाश तहसील तारानगर जिला चूरू।

– प्रार्थी –

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर।

– अप्रार्थी –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

निर्णय

दिनांक 21.06.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम कृषि भूमि रोही मौजा कैलाश के खसरा नं. 478 / 115 तादादी 1.7197 हेक्ट. तथा रोही मौजा नेठवा के खसरा नं. 250 तादादी 2.3014 हैक्ट, खसरा नं. 253 तादादी 3.2118 हैक्ट., खसरा नं. 294 तादादी 2.0738 हैक्ट, खसरा नं. 307 तादादी 3.0854 हैक्ट. कुल तादादी 10.6724 हैक्ट. हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम कुम्भदास पुत्र मेघदास अंकित है जो गलत है, जबकि प्रार्थी का कुम्भा राम पुत्र मेघ दास सही है। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम कुम्भा राम पुत्र मेघ दास है। नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब प्रार्थी जमाबन्दी में अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। जमाबन्दी में अपना नाम दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थी ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के नाम दुरूस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना प्रत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही मौजा कैलाश के खसरा सं. 478 / 115 तादादी 1.7197 हेक्ट. तथा रोही मौजा नेठवा के खसरा नं. 250 तादादी 2.3014 हैक्ट, खसरा नं. 253 तादादी 3.2118 हैक्ट., खसरा नं. 294 तादादी 2.0738 हैक्ट, खसरा नं. 307 तादादी 3.0854 हैक्ट. कुल तादादी 10.6724 हैक्ट. में प्रार्थी का नाम कुम्भा राम पुत्र मेघ दास किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार तारानगर को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया कि कुभदास व कुम्भादास एक ही व्यक्ति है प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में राज्यहित प्रमावित नहीं होता। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड, शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम कुम्भा राम पुत्र मेघ दास दर्ज है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। व वकील प्रार्थी की बहस सुनी। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड, पहचान पत्र से वादी का दस्तावेजीय नाम कुम्भा राम पुत्र मेघ दास पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा कैलाश के खसरा सं. 478 / 115 तादादी 1.7197 हेक्ट. तथा रोही मौजा नेठवा के खसरा नं. 250 तादादी 2.3014 हैक्ट, खसरा नं. 253 तादादी 3.2118 हैक्ट., खसरा नं. 294 तादादी 2.0738 हैक्ट, खसरा नं. 307 तादादी 3.0854 हैक्ट. कुल तादादी 10.6724 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि **कुम्भदास पुत्र मेघदास Delete** कर इसके स्थान पर **कुम्भा राम पुत्र मेघ दास** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। इस विचार न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सूर्यकान्त शर्मा, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)